

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 591 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 नवम्बर 2010—अग्रहायण 2, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर, 2010

क्र. 24627-वि.स.विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०१०

### मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) संशोधन विधेयक, २०१०

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०१० है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १३ सन् १९८४) की धारा २ में, खण्ड (च) में, शब्द तथा कोष्ठक “चक्राकार आरा (कटर), जिसका व्यास (डायमीटर्स), बारह इंच से अधिक न हो,” का लोप किया जाए.

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १३ सन् १९८४) में उपबंधित “आरा मिल” की परिभाषा में चक्राकार आरा (कटर), जिसका व्यास (डायमीटर्स), बारह इंच से अधिक न हो, सम्मिलित नहीं है. यह तकनीकी त्रुटि अवैध रूप से काटी गई काष्ठ के रूपान्तरण में ऐसे आरा (कटर्स) के उपयोग को बढ़ावा देती है. काष्ठ की अवैध कटाई को रोकने की दृष्टि से “आरा मिल” की परिभाषा को यथोचित रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख ९ नवम्बर, २०१०.

सरताज सिंह  
भारसाधक सदस्य.